सं. 14036/543/2013-यू टी पी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: 05.09. 2013

आदेश

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत श्री इन्द्रजीत द्वारा प्रस्तुत अपील।

जबकि श्री इन्द्रजीत, पुत्र श्री प्रेम चंद, वार्ड नं. 7, सैल नं. 4, तिहाड़ जेल सं. 3, नई दिल्ली-110064 ने अपने दिनांक 20.6.2013 के आर टी आई आवेदन का उपयुक्त ढंग से उत्तर न दिए जाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत अपनी दिनांक 25.7.2013 की प्रथम अपील (इस अनुभाग में दिनांक 5.8.2013 को प्राप्त) प्रस्तुत की है।

2. जबकि श्री इन्द्रजीत का एक आर टी आई आवेदन इस अनुभाग में 4.7.2013 को प्राप्त हुआ था जिसमें काल्पनिक प्रश्नों/पूछताछ से संबंधित सूचना मांगी गई थी। तदनुसार, मामले की छानबीन की गई और यह महसूस किया गया कि आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना आर टी आई अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के अंतर्गत यथा परिभाषित 'सूचना' की परिभाषा के दायरे में नहीं आती है। केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 9 जुलाई, 2013 के पत्र सं. 14036/478/2013-यू टी पी के तहत उनके आर टी आई आवेदन का उत्तर दे दिया गया था।

3. चूंकि 9 जुलाई, 2013 के पत्र सं. 14036/478/2013-यू टी पी के तहत आवेदक को अपेक्षित उत्तर पहले ही दे दिया गया था और इसलिए, श्री इन्द्रजीत द्वारा प्रस्तुत अपील का तदनुसार निपटान किया जाता है।

4. 10/- रु. की राशि का मूल भारतीय पोस्टल आर्डर सं. 11 एफ 080997 इसके साथ लौटाया जा रहा है।

(आई.एस. चहल)
संयुक्त सचिव (यू टी) एवं
अपील प्राधिकारी

सेवा में,

श्री इन्द्रजीत,
पुत्र श्री प्रेम चंद,
वार्ड नं. 7, सैल नं. 4,
तिहाड़ जेल सं. 3,
नई दिल्ली-110064

Issued
2165
6/9